

उद्योग निदेशालय  
बिहार, पटना।

पत्रांक...../  
सं०सं०-04/नि०स्था०विविध(प्रतिवेदन)-01/12

पटना, दिनांक.....

**कार्यालय आदेश**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-2058, दिनांक 07.04.01 एवं सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-3 एम-1-15/2001 सा०प्र०-3277, दिनांक 26.02.13 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विशाका दिशा-निदेश के आलोक में समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय) का पत्रांक-10 सं०क०यो० 3-1074/99(अंश-1)-1801, दिनांक 30.07.13 द्वारा किये गये अनुरोध पर उद्योग निदेशालय के अधीनस्थ कार्यरत महिला कर्मियों को कार्य-स्थल पर यौन-उत्पीड़न की रोकथाम हेतु उद्योग निदेशालय के अधीन एक परिवाद समिति की निम्न प्रकार गठन किया जाता है :-

- (1). श्रीमती सरिता चौधरी, संयुक्त उद्योग निदेशक - अध्यक्ष।
- (2). श्री ललित कुमार सिन्हा, उप उद्योग निदेशक - सदस्य।
- (3). श्रीमती सरिता बसाक, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03/निदे०- सदस्य।

2. उक्त समिति माह में एक बाद बैठक करेगी तथा स्थिति की समीक्षा कर कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु सही कदम उठायेगी।

ह०/-  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक...../

पटना, दिनांक.....

**प्रतिलिपि:-** अनुलग्नक की प्रति के साथ परिवाद समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य/संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय) के पत्रांक-1807, दिनांक 30.07.13 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4175 /

पटना, दिनांक 06.09.13

**प्रतिलिपि:-** अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1765, दिनांक 17.04.13 के क्रम में/उद्योग निदेशालय अधीनस्थ सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी/आई०टी० प्रबन्धक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-04/निदे० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shailish Khanna  
उद्योग निदेशक, 6.9.13  
बिहार, पटना।  
15.9.13